न्यायालय– अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

पीठासीन अधिकारी	–	शालिनी शर्मा, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
दीवानी मूल अपील सं.	–	21/2021
सी.आई.एस. सं.	–	02/2016
सी.एन.आर. सं.	–	RJAJ170000462016

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व. श्री बंशीधर जी, उम्र–64 वर्ष, निवासी सदर बाजार, पुराना शहर, किशनगढ़, जिला–अजमेर। **मृतक जरिये कानूनी वारिसान :–**

1/1 श्रीमती दुर्गेश कंवर पारीक पत्नी स्व. राजेन्द्र पारीक, उम्र–73 वर्ष, निवासी–सदर बाजार, पुराना शहर, किशनगढ़।

1/2 संजय पारीक पुत्र स्व. राजेन्द्र पारीक, उम्र–52 वर्ष, निवासी–सदर बाजार, पुराना शहर, किशनगढ़।

1/3 नवीनचन्द्र पारीक पुत्र स्व. राजेन्द्र पारीक, उम्र 40 वर्ष, निवासीगण–हलवाई की गली, पुराना शहर किशनगढ़।

1/4 श्रीमती ममता पारीक पुत्री स्व. राजेन्द्र पारीक पत्नी श्री मगेन्द्र पारीक, उम्र–54 वर्ष, निवासीन–जयपुर।

1/5 श्रीमती मीनाक्षी पारीक पुत्री स्व. राजेन्द्र पारीक पत्नी राहुल पारीक, उम्र–43 वर्ष, निवासीन–जयपुर।

– अपीलान्ट/प्रतिवादी

ब ना म

1 गोविन्द प्रसाद पुत्र स्व. श्री बंशीधर जी, उम्र–करीबन 61 वर्ष, निवासी सदर बाजार, पुराना शहर, किशनगढ़, जिला–अजमेर।

–रेस्पोडेन्ट/वादी

2 मु. रतन देवी बेवा स्व. श्री सूरजनारायण जी, **(मृतक)**

3 श्रीमती चन्द्रप्रभा पुत्री स्व. श्री सूरजनारायण जी,

4 कृष्णकान्त पुत्र स्व. श्री सूरजनारायण जी,

5 रमेश पारीक पुत्र स्व. श्री सूरजनारायण जी,

6 श्रीमती गुड्डी पुत्री स्व. श्री सूरजनारायण जी, **अबेट**

7 श्रीमती मधु पुत्री स्व. श्री सूरजनारायण जी, **(मृतक) अबेट**

सर्वनिवासीगण पुराना शहर, सदर बाजार, किशनगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादी सं. 1

8 मामराज पुत्र स्व. श्री सूरजनारायण जी, निवासी–सदर बाजार, पुराना शहर किशनगढ़।

–रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सं. 3

9 महन्त पुजारी दामोदरशरण उर्फ देवेन्द्र कुमार मन्दिर श्री राधानागर जी, सदर बाजार, पुराना शहर, किशनगढ़।

–रेस्पोडेन्ट

दीवानी अपील अन्तर्गत धारा 96 सपठित आदेश 41 नियम 1 सी.पी.सी. विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2016, जो श्री गोविन्द राम मीणा, सिविल न्यायाधीश, किशनगढ़ द्वारा दीवानी वाद सं. 852/2014 (78/2002) (55/2002) (139/2009) उनवान गोविन्द प्रसाद बनाम सूरजनारायण वगैरह में पारित किया गया।

उपस्थित –
1. अपीलार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री महेश अग्रवाल।
2. प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से – अधिवक्ता श्री ध्रुव सिंह चौधरी।
3. प्रत्यर्थी सं. 3, 4, 5 व 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
4. प्रत्यर्थी सं. 9 की ओर से अधिवक्ता श्री गोवन्ददास पुरोहित।

– :: निर्णय :: –

दिनांक ::– 22.04.2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील विद्वान विचारण न्यायालय **सिविल न्यायाधीश, किशनगढ़ द्वारा दीवानी वाद सं. 852/2014 (78/2002) (55/2002) (139/2009) उनवान गोविन्द प्रसाद बनाम सूरजनारायण वगैरह** में पारित निर्णय दिनांक **18.01.2016** से व्यथित होकर न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, किशनगढ़, जिला अजमेर में प्रस्तुत की गई। उक्त अपील माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर के आदेश क्रमांक/अंतरण/2021/466 दिनांक 25.08.2021 की अनुपालना में दिनांक 20.09.2021 को अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई, जिसे नियमानुसार दर्ज किया गया।

2. अपीलांट/प्रतिवादी सं. 2 राजेन्द्र प्रसाद को सुविधा की दृष्टि से निर्णय में आगे प्रतिवादी सं. 2 व रेस्पोडेंट/वादी गोविन्द प्रसाद को वादी के नाम से तथा रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 7 को जो कि मूल वाद में प्रतिवादी सूरजनारायण के

वारिसान है, रेस्पोडेंट/प्रतिवादी सं. 1 तथा रेस्पोडेंट/प्रतिवादी सं. 8 को प्रतिवादी सं. 3 व रेस्पोडेंट सं. 9 से संबोधित किया जाएगा।

3. हस्तगत अपील में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल वाद में वादी द्वारा इस आशय का वादपत्र पेश किया गया है कि वादी गोविन्द प्रसाद ने एक वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 सी.पी.सी. दावा बाबत् पूजा के अधिकार की विशिष्ट पालना एवं आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा एवं हर्जाना वसूली बाबत विरूद्ध प्रतिवादीगण सूरजनारायण वगैरह इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सगे भाई है तथा समस्त मन्दिर परिसर श्री राधानागर जी सदर बाजार पुराना शहर किशनगढ़ में निवास करते हैं। उक्त सम्पत्ति वादी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी सम्पत्ति है, जो कि किशनगढ़ रियासत के पूर्व महाराजा ने निर्माण करवाकर वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वजों को दान में दिया था तथा सेवा पूजा करने के लिये निजी तौर पर अधिकृत किया था। उक्त मन्दिर पर तब से ही वादीगण के पूर्वजों का अधिकार चलता आ रहा है एवं उनके पिता ही इसकी पूजा करते आ रहे हैं। दोनों पक्षकारों के पिता श्री बंशीधर जी का दिनांक 10.08.2001 को देहान्त हो चुका है, उसके पश्चात् वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीखुशी से मन्दिर श्री राधानागर जी को संयुक्त रूप से पुजारी की हैसियत से नियुक्त करने बाबत् एक लिखित इकरार तहसीलदार, किशनगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त मन्दिर की सेवा पूजा करने बाबत् क्रमानुसार तीन–तीन माह का सेवा पूजा का ओसरा तय कर लिखित इकरार कर लिया था। उक्त लिखित ओसरे के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 सूरजनारायण ने मन्दिर सेवा पूजा का चार्ज दिनांक 17.10.2001 को प्राप्त कर लिया था तथा तीन माह सेवा कर दिनांक 17.012002 को क्रमानुसार प्रतिवादी सं. 2 को सुपुर्द कर दिया था, परन्तु प्रतिवादी सं. 2 ने अपने समय सेवा पूजा करने के पश्चात् दिनांक 17.04.2002 को सेवा पूजा का चार्ज वादी को सुपुर्द नहीं किया एवं जब बादी ने कई बार जुबानी कहा तो प्रतिवादी सं. 2 लडाई झगडे पर आमाद हो गया, जिससे वादी सेवा पूजा

करने के अधिकार से वंचित रह गया। उक्त सेवा पूजा नहीं करने की वजह से वादी को तीन हजार रुपये का आर्थिक नुकसान भी हुआ। अन्त में वादी का वाद डिक्री किया जाकर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं. 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादी को ओसरेवार सेवा पूजा करने में बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं जरिये स्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिया जाये कि आगामी वर्ष में भी क्रमानुसार पूजा वादी को सौंपे तथा दिनांक 17.04.2002 से 16.07.2002 तक के पूजा के अधिकार से वंचित होने के कारण हुए आर्थिक नुकसान तीन हजार रुपये हर्जाना वादी को दिलवाये जाने का निवेदन किया गया।

4. **प्रतिवादी सं. 2** की ओर से उक्त वादपत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए **जवाब** इस आशय का पेश किया है कि सेवा पूजा करने का अधिकार गुरू द्वारा शिष्य को प्रदत्त किया जाता है और यह एक व्यक्तिगत अधिकार है, इसके बाबत ओसरे करने का इकरार विधि विरूद्ध है। प्रतिवादी परम्परानुसार पूजा करने का अधिकारी है, उसके लिये उसे आजीवन अविवाहित रहना आवश्यक है। उक्त गद्दी निम्बाकाचार्य की गद्दी है एवं इसके वर्तमान में गुरू श्री श्री जी महाराज श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज है, जिन्होंने श्री बंशीधर जी की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी सं. 2 के पुत्र श्री दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार को सेवा पूजा के लिये योग्य समझ सेवा का अधिकार प्रदान किया है। अतः वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण को उक्त पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। पूजा करने का चार्ज सम्भलाने के सम्बन्ध में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। जो इकरारनामा वादी बता रहा है, वह केवल प्रार्थना–पत्र और तहसीलदार जी को मन्दिर की भूमि नामांकन करने बाबत् था। उक्त मन्दिर की पूजा दामोदर शरण कर रहा है, परन्तु उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः उक्त दावा खारिज होने योग्य है। परम्परानुसार नियुक्त पूजारियों की सूची जवाब प्रार्थना–पत्र के पैरा सं. 4 के अनुसार है, इनके अलावा अन्य किसी को अधिकार नहीं था। वादी को कभी कोई तीन हजार रुपये का नुकसान नहीं हुआ था। उक्त मन्दिर की सेवा हमेशा एक ही पुजारी करता आया है

और जो उक्त अधिकार गुरू द्वारा एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, उसके अनुसार ही दामोदर शरण उक्त मन्दिर की सेवा पूजा कर रहा है। दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार को निम्बार्काचार्य आयार्य श्री राधासर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री श्री जी महाराज श्री निम्बार्काचार्य पीठ निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद के द्वारा जारी पत्र दिनांक 21.04.2002 के प्रदत्त अधिकारों में व्यक्तिगत स्थिति में सेवा पूजा कर रहा है। अतः वादी का वाद मय हर्जे खर्चे खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया।

5. **प्रतिवादी सं. 1** की ओर से वादी के वाद पत्र को स्वीकार करते हुए लिखित **जवाब** इस आशय का पेश किया गया है कि प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दिनांक 06.10.2001 के इकरारनामे की पालना नहीं की जा रही है। अतः वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

6. वादी द्वारा **जवाबुलजवाब** इस आशय का पेश किया गया कि उक्त मन्दिर की सेवा पूजा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिताजी ही करते थे, जिसका किसी भी निम्बार्काचार्य पीठ सलेमाबाद से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है ना ही निम्बार्काचार्य पीठ को उक्त मन्दिर का पूजारी नियुक्त करने का अधिकार है ना ही उसके द्वारा दामोदर शरण को उक्त मन्दिर का पूजारी नियुक्त किया गया है। उक्त मन्दिर में सेवा पूजा का अधिकार किशनगढ़ रियासत के समय से ही पुश्तैनी रहा है। प्रतिवादी सं. 2 मृतक पूजारी बंशीधर जी का वारिस है एवं इसीलिये इकरारनामा दिनांक 28.09.2001 के अनुसार ओसरेवार सेजा पूजा करने का अधिकारी है।

7. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किए गए:–

(1) आया वादी प्रतिवादी संख्या 2 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है कि वह वादी को उसके सेवा पूजा की क्रम अवधि में सेवा पूजा करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा क्रमानुसार वादी को मन्दिर का चार्ज प्रति वर्ष सौंप देवे?

–वादी

(2) आया वादी प्रतिवादी संख्या 2 से दिनांक 16.04.2002 से सेवा पूजा के अधिकार से वंचित किए जाने हेतु व चार्ज नहीं संभलाने के कारण रुपये 3000/–रुपये की राशि प्राप्त करने का अधिकारी

–वादी

(3) अनुतोष?

उक्त विवाद्यकों को साबित करने के लिए वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू 1 गोविन्द प्रसाद, पी. डब्ल्यू 2 सत्यनारायण, पी.डब्ल्यू 3 रामेश्वर पारीक एवं पी.डब्ल्यू 4 डालचंद के शपथ पत्र प्रस्तुत कर उनके कथन लेखबद्ध कराए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 कलेक्टर जागीर को तहसीलदार, किशनगढ़ द्वारा लिया गया पत्र, प्रदर्श 2 प्रार्थना पत्र, प्रदर्श 3 आदेश जागीर कमिश्नर, प्रदर्श 4 अखिल भारतीय निबाकाचार्य पीठ से जारी पत्र दिनांक 05.10.2004 को प्रदर्शित करवाया गया।

प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी. डब्ल्यू 1 मामराज, डी. डब्ल्यू 2 रमेशचंद एवं डी. डब्ल्यू 3 राजेन्द्र प्रसाद के शपथ पत्र प्रस्तुत कर उनके कथन लेखबद्ध कराए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया गया।

तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी जाकर वादी की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार कर डिक्री करते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि–

"परिणामत वादी गोविन्द प्रसाद की ओर से प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण सूरज नारायण वगैरह अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 जाप्ता दीवानी बाबत पूजा के अधिकार की विशिष्ट पालना एवं आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा एवं हर्जाना वसूली डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 उसके पुत्र वारिस, एजेन्ट, प्रतिनिधि, रिश्तेदार को जरिये आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी

की सेवा पूजा के क्रम अवधि (ओसरेवार) में भविष्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा प्रत्येक आगामी वर्ष हेतु सेवा पूजा हेतु क्रमानुसार वादी को मन्दिर का चार्ज सौंप देवे एवं साथ ही दिनाक 16.04.2002 से दिनांक 16.07.2002 तक सेवा पूजा के अधिकार से वंचित किये जाने हेतु व चार्ज नहीं सम्भलाये जाने हेतु आर्थिक हर्जाने के रूप में तीन हजार रुपये भी वादी प्रतिवादी संख्या 2 से प्राप्त करने का अधिकारी है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री नियमानुसार मूर्तिब हो।''

8. उक्त आदेश से व्यथित अपीलांट/प्रतिवादी सं. 2 राजेन्द्र प्रसाद की ओर से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है, जिसके निन्मलिखित आधार लिए गए हैः–

1. अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दावे एवं जवाब दावे तथा दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार तनकी नहीं बनायी गयी है। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में किए गए अभिवचन कि दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार, जो श्री राधानागर मन्दिर की पूजा सेवा पूजारी की हैसियत से अविवाहित रहकर लगातार कई वर्षों से निर्विघ्न रूप से मन्दिर की परम्परा एवं नियमों के अनुसार करता चला आ रहा है तथा जो उक्त मुकदमे में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पक्षकार होते जिसको पक्षकार प्रतिवादी नहीं बनाने के कारण उक्त दावा दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार की अनुपस्थिति में सुनवाई होने योग्य नहीं है एवं खारिज होने योग्य है, इस बाबत तनकी नहीं बनायी गयी है तथा उसे पक्षकार प्रतिवादी नहीं बनाने से वादी का दावा चलने योग्य नहीं है एवं खारिज होने योग्य है।

2. वादी द्वारा उक्त वाद में स्वयं को उक्त मन्दिर का पूजारी घोषित करने बाबत घोषणात्मक अनुतोष का दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिये वादी का दावा चलने योग्य नहीं है एवं खारिज होने योग्य है।

3. वादी द्वारा कभी–भी उक्त श्री राधानागर भगवान के मन्दिर की सेवा पूजा नहीं की गयी है एवं कभी भी वादी उक्त मन्दिर का पूजारी नियुक्त नहीं रहा है एवं पूजारी के रूप में मन्दिर में सेवा, पूजा अर्जना नहीं की है तथा वादी अविवाहित

नहीं है, इस कारण दावा चलने योग्य नहीं है एवं वादी द्वारा स्वयं को पूजारी होने बाबत् किसी भी प्रकार का घोषणात्मक अनुतोष नहीं मांगा है, इस कारण वादी का दावा चलने योग्य नहीं है।

4. वादी ने उक्त दावा स्वयं को श्री राधानागर मन्दिर का पूजारी होने की हैसियत में प्रस्तुत नहीं किया है तथा उक्त दावे में श्री राधानागर मन्दिर को भी पक्षकार प्रतिवादी नहीं बनाया है, इस कारण भी वादी का उक्त दावा बाबत् आज्ञात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का चलने योग्य नहीं है एवं खारिज होने योग्य है।

5. वादी ने उक्त दावा पूजा के अधिकार की विशिष्ट पालना का दावा पेश किया है। तथा आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को अस्थायी निषेधाज्ञा देने से इनकार करते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया था।

6. वादी ने अपने दावे में मन्दिर श्री राधानागर जी की सेवा पूजा ओसरावार करने बाबत् वादी एवं प्रतिवादी सूरजनारायण, राजेन्द्र प्रसाद एवं मामराज के मध्य लिखित इकरारनामा निष्पादित होने का अभिवचन करते हुए इकरारनामा के आधार पर उक्त ओसरा अपने हक में आना प्रदर्शित कर दावा प्रस्तुत किया है, परंतु वादी द्वारा उक्त इकरारनामा निष्पादन बाबत् दिनांक नहीं बतायी है एवं उक्त लिखित इकरार को तहसीलदार किशनगढ़ को प्रस्तुत करना बताया गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई भी लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री में उक्त लिखित इकरारनामा के आधार पर वादी का दावा गलत एवं अविधिक तौर पर डिक्री किया गया है। लिखित इकरारनामा के अभाव में वादी का दावा डिक्री होने योग्य नहीं है।

7. वादी ने दावा लिखित इकरारनामा की विशिष्ट अनुपालना करने बाबत् अभिवचन करते हुए पेश किया गया है, जबकि ऐसा इकरारनामा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश नहीं है एवं तथाकथित इकरारनामा दिनांक 06.10.2001 की पालना करने हेतु दावा गलत प्रस्तुत किया है, जबकि विशिष्ट

अनुपालना अधिनियम के तहत उक्त तथाकथित इकरारनामा दिनांक 06.10.2001 की अनुपालना हेतु वादी को विधिवत् मन्दिर श्री राधानागर जी की अचल एवं चल सम्पत्ति का विधिवत् मूल्यांकन करके विधिवत् सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में दावा प्रस्तुत नहीं किया है एवं घोषणात्मक अनुतोष वादी द्वारा उक्त वाद में धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत भी घोषणात्मक अनुतोष नहीं मांगा गया है। इसलिये दावा खारिज होने योग्य है।

8. वादी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित इकरारनामा दिनांक 06.10.2001 दस्तावेज प्रदर्श 2 लगाया गया है, जबकि प्रदर्श 2 इकरारनामा नहीं है बल्कि एक प्रार्थना पत्र पत्र है, जो प्रतिवादी सं. 1 सूरजनारायण ने तहसीलदार, किशनगढ़ को मन्दिर श्री राधानागर जी की अचल कृषि सम्पत्तियों का नाम राजस्व रिकार्ड खातोदारी में दर्ज करवाने बाबत दिनांक 28.09.2001 को प्रस्तुत किया था और उक्त प्रार्थना पत्र पर वादी गोविन्द प्रसाद एवं प्रतिवादी सं. 2 राजेन्द्र प्रसाद तथा प्रतिवादी सं. 3 मामराज के हस्ताक्षर नहीं है ना ही मन्दिर श्री राधानागर जी के पुजारी दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार के हस्ताक्षर है। उक्त दस्तावेज प्रतिवादी सं. 2/अपीलान्ट एवं दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार के विधिक अधिकारों के प्रति प्रभावहीन एवं शून्य तथा बेअसर है। उक्त प्रार्थना पत्र की पुश्त पर पटवारी हल्का टोंकड़ा द्वारा उक्त मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार, किशनगढ़ को लौटाकर अपनी रिपोर्ट दी थी, उक्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में उक्त कृषि भूमियां मन्दिर श्री राधानागर जी महाराज विराजमान स्थान किशनगढ़ के नाम रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार पूजारियों के नाम रिकार्ड में दर्ज नहीं किये जाते हैं।

9. उक्त रिपोर्ट में वादी एवं सूरजनारायण, मामराज द्वारा केवल मात्र मन्दिर की कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में स्व. श्री बंशीधर जी के चारों पुत्र का नाम दर्ज करने बाबत् सहमति देना बताया गया है, जबकि राज्य सरकार के आदेशानुसार पूजारियों का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में इन्द्राज नहीं किया जाता है। उक्त तथाकथित तहरीर इकरारनामा की तारीफ में नहीं आती है। उसके

आधार पर ओसरा तय नहीं किया जा सकता है एवं उक्त तहरीर में किसी भी प्रकार का अनुबंध पक्षकारों में भी नहीं है, जबकि मन्दिर में स्व. श्री बंशीधर जी के जीवनकाल में ही दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार बचपन से ही भगवान की सेवा पूजा करते चले आ रहे हैं तथा श्री बंशीधर जी की मृत्यु दिनांक 10.08.2001 के पूर्व से ही कई वर्षों से लगातार निर्विघ्न रूप से बिना किसी रोक–टोक के तथा बिना किसी आपत्ति के पूजा कर रहे हैं।

10. कलेक्टर जागीरदार का दस्तावेज प्रदर्श 3 में कहीं पर भी उक्त मन्दिर की सेवा पूजा करने वाले पूजारी का नाम अंकित नहीं है एवं उक्त आदेश से मन्दिर की सेवा पूजा करने वाले पूजारी का निर्धारण नहीं होता है।

11. पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर कभी भी तहसीलदार, किशनगढ़, देवस्थान विभाग, पटवारी ने उक्त मन्दिर में आकर भौतिक रूप से भगवान श्रीकृष्ण जी महाराज एवं माता श्री राधारानी की नियमित दैनिक दिनचर्या एवं पूजा अर्चना करने वाले पुजारी बाबत जांच नहीं की गयी है क्योंकि वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 सूरजनारायण तथा प्रतिवादी सं. 3 मामराज को स्पष्ट मालूम था कि उक्त मन्दिर स्थित भगवान की सेवा पूजा दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार द्वारा ही वर्ष 2001 के पूर्व से ही की जा रही है।

12. अपीलार्थी/प्रतिवादी सं. 2 ने भी वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 व 3 को इस बाबत बता दिया था कि दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार ही उक्त मन्दिर में पूजा अर्चना बतौर पूजारी करता आ रहा है।

13. उक्त मन्दिर, जो कि नगरपरिषद किशनगढ़ के क्षेत्राधिकार में स्थित मन्दिर है, जिसके रिकार्ड में भी बतौर पूजारी के रूप में देवेन्द्र कुमार उर्फ श्री दामोदर शरण का नाम दर्ज है। इस बाबत नगर पालिका किशनगढ़ ने दिनांक 14.09.2001 को प्रमाण पत्र जारी करते हुए पूजारी देवेन्द्र कुमार उर्फ दामोदर शरण द्वारा पूजा अर्चना करना बताया है, जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है।

14. मन्दिर की गद्दी पर भगवान की सेवा पूजा करने वाले वर्तमान पूजारी

दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार को ही अधिकारी होना मानते हुए दिनांक 21.04.2002 को आदेश अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्य पीठ सलेमाबाद के आचार्य श्री श्री जी महाराज के आदेशानुसार व्यवस्थापक कामदार नटवर पारीक ने आदेश जारी किया था, जिसकी जानकारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को पूर्ण रूप से है, जिन्होंने मिलीभगत करके अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्य पीठ सलेमाबाद का एक फर्जी दस्तावेज दिनांक 05.10.2004 प्रदर्श 4 प्रस्तुत किया था, जो नटवर पारीक की हस्तलिपि में नहीं है तथा उक्त दस्तावेज की दिनांक के वर्ष के कॉलम में काटछांट है तथा उक्त प्रदर्श 4 दस्तावेज कभी भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को जारी नहीं किया गया था एवं उक्त दस्तावेज में न्यायालय का नाम अंकित है।

15. दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, जिसे दावे में पक्षकार नहीं बनाया है।

16. पुजारी दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार द्वारा दीवानी विविध प्रार्थना पत्र सं. 96/2009 मन्दिर श्री राधानागर जी मन्दिर श्री राधानागर जी अव्यस्क जरिये पूजारी महंत दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार बनाम गोविन्द प्रसाद वगैरह, जो न्यायालय सिविल न्यायाधीश, किशनगढ़ में प्रस्तुत किया था, जिसमें दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार विवादित स्थल की यथास्थिति काय करने का आदेश दिया गया था, जिससे भी वादी का दावा चलने योग्य नहीं है।

17. तीर्थ गुरू पुष्कर, अजमेर विरक्त वैष्णव मण्डल पंजीकृत संख्या 103 द्वारा भी रसीद क्रमांक 62 दिनांक 14.04.2006 दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार को बतौर महंत उक्त मन्दिर श्री राधानागर का स्वीकार करते हुए सदस्य बनाया गया था। इसी प्रकार दिनांक 14.04.2006 को सभी महन्त जिनमें गोपालशरण मन्दिर सलेमाबाद, जमनादास बाबा, बालकदास जी अध्यक्ष, भगवानदास जी आदि कई

सन्तों ने दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार को चादर ओढ़ाकर स्वीकार किया था जिसकी तहरीर भी दिनांक 14.04.2006 को निष्पादित की गई थी तथा दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार विरक्त वैष्णव मण्डल की पुष्कर की रजिस्टर्ड संस्था के भी बतौर पूजारी महन्त दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार को सदस्य बनाया गया था तथा उक्त मन्दिर के पूजारी के रूप में दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार का नाम अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ किशनगढ़ में दर्ज है, जिस पर कभी भी आपत्ति नहीं की गई।

18. बंशीधरदास जी के पूर्व मंदिर श्री राधानागर जी के पूजारी महंत माधवदास जी थे, जो अविवाहित थे, जिनकी मृत्यु के बाद विक्रम संवत 2004 में बंशीधरदास जी को पूजारी नियुक्त किया गया था, जो कि उस समय शादीशुदा नहीं थे, अविवाहित थे। कई वर्षों पश्चात् शादी की। दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार संवत् 2004 के पूर्व चली आ रही प्राचीन परम्पराओं के कारण बाल्यावस्था से ही विरक्ति उत्पन्न होने पर भगवान की पूजा सेवा करते चले आ रहे थे तथा अविवाहित रहे थे एवं ब्रह्मचर्य का पालन किया था तथा स्व. श्री बंशीधर जी ने भी अपने चारों पुत्रों को यही बताया था कि उनकी मृत्यु के बाद मन्दिर का महन्त एवं पूजारी दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार होंगे एवं ओसरा बांटने की परम्परा कभी भी नहीं रही है एवं मन्दिर के पूजारी महन्त का अधिकार विरासत में अन्तरित होने वाला एवं विरासत में प्राप्त होने वाला अधिकार नहीं है।

19. बंशीधरदास ने मंदिर के पुजारी के पद तथा मंदिर की संपत्ति बाबत अपने जीवनकाल में किसी प्रकार की वसीयत निष्पादित नहीं की ना ही वसीयत द्वारा पूजारी का पद अंतरित किया जा सकता है।

20. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 3000/– रुपये हर्जाना बाबत् भी वादी का दावा गलत डिक्री किया है।

21. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 विवाहित हैं एवं शादीशुदा है, इस कारण मन्दिर श्री राधानागर जी का पूजारी के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम भी नहीं है।

22. वादी ने स्वयं को मन्दिर का पूजारी नियुक्त करने का एवं घोषणा का दावा प्रस्तुत नहीं किया तथा दावा प्रस्तुत करने की दिनांक तथा उक्त दावा पेश करने की दिनांक के पूर्व भी वादी ने कभी भी बतौर पूजारी सेवा पूजा नहीं की है, इस कारण आदेशात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा कानूनन चलने योग्य नहीं है।

23. वादी ने बिना घोषणात्मक अनुतोष के तथा बिना पूजारी नियुक्त हुये ही आदेशात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा गलत मूल्यांकन करके प्रस्तुत किया है।

24. पूजारी नियुक्त होने, घोषणात्मक अनुतोष पूजारी बाबत् नियुक्ति बाबत् राजस्थान देवस्थान विभाग को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। सिविल न्यायालय को विवाद की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

25. अधीनस्थ न्यायालय का फैसला एवं डिक्री गलत तथा अविधिक एवं साक्ष्य का सही ढंग से विवेचन नहीं करके तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

अतः उक्त निर्णय व डिक्री को अपास्त करके वादी का दावा खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलार्थी/प्रतिवादी सं. 2 राजेंद्र प्रसाद की दौराने अपील मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया व देवेंद्र उर्फ दामोदर शरण को मृतक राजेंद्र प्रसाद का विधिक वारिसान होना मानते हुए स्वयं द्वारा बतौर विधिक प्रतिनिधि रिकॉर्ड पर लिए जाने में असहमति व्यक्त करने से उसे प्रत्यर्थी संख्या 9 के रूप में रिकॉर्ड पर लिए जाने का आदेश दिया गया था, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 9 की ओर से दिनांक 06.03.2026 को आदेश 41 नियम 22(1) सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत आक्षेप प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 मे मध्य मंदिर श्री राधानागर जी की सेवा पूजा के सम्बन्ध में विवाद है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को इस तथ्य की प्रारभं से ही जानकारी रही है कि बंशीधर जी पारिक के जीवनकाल से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 9 दामोदर शरण मंदिर श्री राधानागर जी की सेवा पूजा में सहयोग करता आ रहा

है। उसके बाद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व मंदिर श्री राधानागर जी को जरिए महन्त पक्षकार बनाये बिना भगवान की सेवा पूजा अर्चना के ओसरे हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर दिया। उक्त निर्णय से प्रत्यर्थी सं. 9 के हक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आदेश 1 नियम 10(2) सी.पी.सी. के अंतर्गत रेस्पोडेन्ट संख्या 9 को भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन बाद में आवश्यक व महत्वपूर्ण पक्षकार के रूप में संयोजित कर उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। नगर परिषद किशनगढ़ दवारा रेस्पोडेन्ट संख्या 9 के पक्ष में मंदिर श्री राधानागर जी की सेवा पूजा का प्रमाण पत्र संख्या 168 दिनांक 14.09.2001 जारी है, जो संलग्न है। तीर्थगुरु पुष्कर अजमेर विरक्त वैष्णव मंडल की अजमेर जिले की मंदिर सूची में क्रम संख्या 51 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 9 का नाम अंकित है। अखिल भारतीय श्री निम्बार्काचार्य पीठ सलेमाबाद द्वारा मंदिर श्री राधानागर जी की सेवा पूजा अर्चना बाबत् दिनांक 21.04.2002 को प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जो संलग्न है। अजमेर पुष्कर विरक्त मंडल द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 14.04.2006 को रेस्पोडेन्ट सख्या 9 को मंदिर श्री राधानागर जी का महंत घोषित करते हुए चादर की रस्म अदा की गयी, जिसकी तहरीर दिनांक 14.04.2006 पर महंत/आमजन के हस्ताक्षकर है, जो संलग्न है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मंदिर श्री राधानागर जी की अचल संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने जरिए महंत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य के विरुद्ध वाद संख्या 183/09 मंदिर श्री राधनागर जी बनाम गोविन्द प्रसाद वगैरह पेश किया है, जो अभी विचाराधीन है। वाद पत्र की प्रति संलग्न है। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने उक्त वाद पत्र के साथ अस्थायी निषेधाजा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मंदिर के पक्ष में स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य को मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 30.05.2009 के अनुसार मूलवाद तक यथा स्थिति से पाबंद किया गया। पिछले करीब 30 वर्षो से प्रत्यर्थी सं. 9 श्री राधानागर जी भगवान की सेवा पूजा अर्चना कर रहा है। अतः आक्षेप रिकॉर्ड पर लिए जाकर अपील को आदेश 41 नियम 23 सी.पी.सी. के अंतर्गत अधीनस्थ

न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 को अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदान करने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी सं. 9 प्रार्थना पत्र के समर्थन में आक्षेप में वर्णित दस्तावेजों की प्रतियां पेश की है।

इस प्रकार हस्तगत अपील में प्रस्तुत अपील के आधारों पर व रेस्पोंडेंट संख्या 9 द्वारा प्रस्तुत आक्षेपों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.01.2016 को पारित किया गया निर्णय डिक्री विधि सम्मत है अथवा नहीं?

बहस अपील सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन परिशीलन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक कायम किए गए थे। विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात के संबंध में अपील का निस्तारण निम्न प्रकार से हैः–

विवाद्यक सं. 1 व 2–

तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर था। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलार्थी ने विशिष्ट पालना के वाद में इकरारनामा पेश नहीं होने, दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार को पक्षकार कायम नहीं करने, देवस्थान विभाग का क्षेत्राधिकार होने, मंदिर मूर्ति को पक्षकार नहीं बनाने के आधार पर उक्त तनकीयात का निष्कर्ष विधि विरूद्ध होना जाहिर किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता प्रत्यर्थी/वादी ने निष्कर्ष विधिनुरूप होना जाहिर किया। प्रत्यर्थी सं. 9 के अधिवक्ता ने भी पक्षकार नहीं बनाने से आदेश विधि सम्मत नहीं होने का कथन किया है। इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत वादपत्र में इकरारनामा दिनांक 06.10.2001 की विशिष्ट पालना एवं आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा व हर्जाना वसूली बाबत प्रस्तुत किया गया था। जिस इकरारनामा की विशिष्ट पालना का वाद प्रस्तुत किया गया है। सहमति सेवा पूजा बाबत दस्तावेज प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 पेश किए हैं, जो दोनों ही प्रार्थना पत्र होना अपीलार्थी ने जाहिर किया है। दस्तावेजों का

अवलोकन किया। उक्त दस्तावेजों में प्रदर्श 1 तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा कलेक्टर जागीर अजमेर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत मंदिर श्री राधानागर जी के पुजारी बंशीधर की मृत्यु दिनांक 10.08.2001 को होने तथा उनके द्वारा दिनांक 30.06.2001 तक की वार्षिकी वृति का भुगतान इस कार्यालय से प्राप्त कर लिया जाना तथा उनकी मृत्यु के बाद चारों पुत्र सूरजनारायण, राजेन्द्र प्रसाद, गोविन्द प्रसाद एवं मामराज ने मंदिर की सेवा पूजा क्रमवार करने पर सहमति प्रकट किया जाना, उक्त चारों भाइयों के नाम प्रपत्र 12 ए जारी करने का निवेदन पत्र है तथा प्रदर्श 2 प्रतिवादी सं. 1 सूरजनारायण द्वारा तहसीलदार, किशनगढ़ को प्रेषित प्रार्थना पत्र मंदिर की भूमि पर रिकॉर्ड रजिस्टर में पुजारी का नाम दर्ज करवाने बाबत है। प्रदर्श 2 पर की गई रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के आदेश अनुसार पूजारी के नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किए जाते, का अंकन है। प्रदर्श 3 फार्म संख्या 12 ए है, जो जागीर कमिश्नर के कार्यालय राजस्थान/डिप्टी कलेक्टर जागीर मोहनपुरा द्वारा जारी किया गया है, जिसमें राधा नागर टेंपल को धार्मिक संस्थान बताते हुए धार्मिक, शैक्षणिक और चैरिटेबल संस्थान बताते हुए जागीर एक्ट, 1952 के तहत 131.96 रुपये की वार्षिकी अदा किए जाने जो की देवस्थान कमिश्नर द्वारा दिए जाने का अंकन है। उक्त दस्तावेज में अधिकारी/पूजारी तहसीलदार किशनगढ़ अंकित है। उक्त परिपत्र में जो प्रति जारी की गई है वो (1) कमिश्नर देवस्थान विभाग, उदयपुर (2) अधिकारी/पूजारी तहसीलदार किशनगढ़, (3) सर्व श्री सूरजनारायण, श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री गोविन्द प्रसाद एवं श्री मामराज को जारी किए जाने का अंकन है। अन्य कोई लिखित इकरारनामा बाबत सेवा पूजा पत्रावली पर पेश नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा संख्या 39 में यह अंकित किया गया है कि प्रतिवादी का यह निवेदन रहा है कि उक्त मंदिर में आज दिनांक तक सेवा पूजा प्रतिवादी का लड़का दामोदर शरण और देवेंद्र कुमार कर रहा है एवं उसको पक्षकार नहीं बनाया है। अतः उक्त दावा खारिज होने योग्य है। उक्त आपत्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा प्रदर्श 2 में चारों भाइयों के नाम से मंदिर के पूजारी अथवा सहमति दिया जाना दामोदर शरण के नाम से कोई

सहमति नहीं होना, गवाहन द्वारा बताए जाने के आधार पर यह निष्कर्ष दिया गया है कि दामोदर शरण कभी उक्त मंदिर का पूजारी रहा हो नहीं माना जा सकता, परंतु वादी द्वारा मंदिर के पूजारी होने की घोषणा का वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही दामोदर शरण को प्रकरण में पक्षकार कायम किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने जवाब दावे में दामोदर शरण को आवश्यक पक्षकार होना बताते हुए आपत्ति की गई थी, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई विवाद्यक भी विरचित नहीं किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब दावे के पैरा संख्या 4 में यह अंकित किया है कि बंशीधर की मृत्यु के उपरांत प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र दामोदर शरण उर्फ देवेंद्र कुमार को ही सेवा पूजा करने योग्य समझ कर सेवा पूजा के अधिकार प्रदत्त किए गए थे व इस आधार पर आपत्ति ली गई थी, परंतु दामोदर शरण को प्रकरण में पक्षकार कायम नहीं किया गया है, जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था। उक्त बाबत दावे का वादी की ओर से जवाब उल जवाब भी प्रस्तुत किया गया था, जिससे प्रकरण में यह विवाद्यक विरचित करना आवश्यक था कि "आया दामोदर शरण उर्फ देवेंद्र कुमार को पक्षकार कायम नहीं किए जाने से वाद वादी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन से खारिज योग्य है,'' परंतु उक्त विवाद्यक कायम नहीं किया गया है, जिससे प्रतिवादी को उक्त विवाद्यक पर अपनी साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त जहां तक मूल वाद श्री राधानागर जी मंदिर की सेवा पूजा करने के अधिकार के संबंध में था तथा प्रतिवादी द्वारा दामोदर शरण को पूर्व पूजारी बंशीधर की मृत्यु के पश्चात सेवा पूजा करने के आधार पर आपत्ति ली गई थी व जवाब दावे में आवश्यक पक्षकार होना बताया था। ऐसी स्थिति में न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता या इस संबंध में विवाद्यक कायम किया जाता परंतु कोई विवाद्यक कायम नहीं किया गया है ना ही उसे बतौर पक्षकार कायम किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रकरण में मूल प्रश्न मंदिर श्री राधानागर जी की सेवा पूजा

के अधिकार के संबंध में था। मूर्ति मंदिर एक विधिक व्यक्तित्व है, जो प्रकरण में बतौर पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक है। जबकि श्री राधानागर जी की सेवा पूजा का विवाद है तो ऐसी स्थिति में मंदिर मूर्ति श्री राधानागर जी को भी प्रकरण में पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था, परंतु उन्हें पक्षकार कायम नहीं किया गया है। उन्हें पक्षकार कायम नहीं किए जाने पर वाद पर क्या प्रभाव होगा, इस प्रश्न का निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय को किया जाना है।

इसके अतिरिक्त श्री राधानागर जी मंदिर दस्तावेज प्रदर्श 3 जो की परिपत्र सं. 12 ए है, में देवस्थान कमिश्नर द्वारा उक्त मंदिर को वार्षिकी दी जा रही है अर्थात उक्त मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन होना उक्त दस्तावेज से प्रथमदृष्टया प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में देवस्थान विभाग भी आवश्यक पक्षकार है, जिसे पक्षकार कायम नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में देवस्थान विभाग को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार कायम नहीं किए जाने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में क्या प्रभाव है, इस प्रश्न का निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय को किया जाना है।

इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपील में न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी चुनौती दी गई है तथा उक्त मंदिर देवस्थान विभाग के अधीन होने से उसमें सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी देवस्थान विभाग को होना बताया है। उक्त प्रश्न विधिक प्रश्न है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में स्वयं का वाद क्षेत्राधिकार के अधीन होना बताया है परंतु प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपील के क्षेत्राधिकार बाबत आपत्ति की गई है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है अथवा नहीं, इसका निर्धारण भी अधीनस्थ न्यायालय को किया जाना है।

इसके अतिरिक्त वादी व प्रतिवादी के मध्य सेवा पूजा करने के अधिकार के संबंध में विवाद रहा है। वादी व प्रतिवादीगण मंदिर श्री राधानागर जी के पूजारी हो, इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः पूजारी होने की घोषणा के अभाव में दावा चलने योग्य है अथवा नहीं उक्त प्रश्न भी विचारण

न्यायालय द्वारा तय किए जाने योग्य है।

अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना अनुसार योग्य विचारण न्यायालय द्वारा जो निर्णय डिक्री दिनांक 18.01.2016 द्वारा वादी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है वह उपरोक्त विवेचनानुसार सुनवाई विधिनुरूप नहीं होने से अपास्त किया जाकर इस आदेश के आलोक में प्रत्यर्थी सं. 9 को बतौर पक्षकार मूल वाद में संयोजित करने हेतु विधिनुसार निवेदन करने पर संयोजित करने के उपरांत अभिवचन प्रस्तुत करने व प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर विवाद्यकों की पुनः विरचना कर उभयपक्षों की साक्ष्य प्रस्तुति व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद का पुनः निस्तारण किए जाने का निर्देश प्रदान करते हुए योग्य विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है। साथ ही विरचित विवाद्यकों में क्षेत्राधिकार बाबत या अन्य विधिक प्रश्न बनाए जाने पर विधिक विवाद्यकों का सर्वप्रथम निस्तारण करने का निर्देश दिया जाना उचित है।

– आ दे श–

9. परिणामतः अपीलार्थी/प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद की ओर से प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत **दीवानी अपील अंतर्गत धारा 96 सपठित आदेश 41 नियम 1 सी.पी.सी. का निस्तारण किया जाकर योग्य विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश, किशनगढ़ द्वारा दीवानी वाद सं. 852/2014 (78/2002) (55/2002) (139/2009) उनवान गोविन्द प्रसाद बनाम सूरजनारायण वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2016 को अपास्त** किया जाता है एवं आदेश 41 नियम 23 सीपीसी के तहत प्रकरण इस निर्देश के साथ योग्य विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि योग्य विचारण न्यायालय इस न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष के आलोक में प्रत्यर्थी सं. 9 दामोदर शरण उर्फ देवेन्द्र कुमार के द्वारा मूल वाद में पक्षकार बनने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर उसे विधि अनुसार प्रकरण में पक्षकार कायम करने के पश्चात् अभिवचन व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार

पर पुनः विवाद्यक कायम करते हुए उन पर उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना विधि सम्मत निष्कर्ष प्रदान करें। साथ ही विरचित विवाद्यकों में क्षेत्राधिकार बाबत या अन्य विधिक प्रश्न बनाए जाने पर विधिक विवाद्यक का सर्वप्रथम निस्तारण करने का निर्देश दिया जाता है तथा यह भी निर्देश दिया जाता है कि योगय विचारण न्यायालय मूल वाद को सिविल दावों के रजिस्टर में अपने मूल संख्यांक पर पुनः ग्रहण करेगा और वाद के विचारण के लिए अग्रिम कार्यवाही करेगा।

10. प्रकरण वर्ष 2002 का होकर अत्यधिक पुराना प्रकरण है। अतः उक्त प्रकरण का 06 माह में निस्तारण करने का निर्देश दिया जाता है। उभय पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.05.2026 को उपस्थित रहेंगे। अपील व्यय पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख आवश्यक कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–2
किशनगढ़ जिला अजमेर।

11. निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–2
किशनगढ़ जिला अजमेर।